



छूट संबंधी नोटिस

| | |
|--------------------|--------------------------|
| छूट नंबर: | SUP0003/2024/1 |
| इसके तहत जारी: | विनियमन 20(1) |
| जारी करने की तिथि: | 5 जुलाई 2024 |
| अवधि: | 30 अगस्त 2025 को समाप्ति |

विशिष्ट छूट

इस श्रेणी की छूट **फूड कंटेनरों और उनके ढक्कनों** की बिक्री या सप्लाई के लिए उपलब्ध है और यह **केवल** तभी लागू होती है, जब **टेकअवे फूड के उद्देश्य से** कंटेनर में **60 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान** पर परोसे जाने वाले **सूप या तरल फूड** डाले जाते हैं।

यह समय-सीमित छूट इसलिए लागू की गई है क्योंकि वर्तमान में सुरक्षित रूप से फूड हैंडलिंग की आवश्यकताओं पर खरा उतरने वाले, लीक होने के खतरे को कम करने वाले और लंबी अवधि तक फूड को स्टोर करने के प्रभावशाली ढंग के सीमित पैकेजिंग विकल्प ही उपलब्ध हैं।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

सूप जैसे या तरल फूड से क्या तात्पर्य है?

इससे तात्पर्य उन चीजों से है जिन्हें टेकअवे फूड के उद्देश्य से कंटेनर में डाला जाता है, लेकिन ये निम्न तक ही सीमित नहीं हैं:

- करी
- ग्रेवी
- सूप
- लाक्सा

इन चीजों को आमतौर पर ऐसे प्लास्टिक के कंटेनरों या कटोरों में पैक किया जाता है, जिनके ढक्कन कसकर बंद किए जा सकते हैं।

इस छूट द्वारा उन चीजों को कवर किया जाता है जहाँ फूड प्रोडक्ट की मुख्य सामग्री में गर्म तरल पदार्थ शामिल होता है और आम तौर पर यह अन्य सामग्रियों के साथ घुल कर फूड के डालने या लीक होने के खतरे को कम नहीं करता है। उदाहरण के लिए, फ्राइड राइस, बिरयानी, रिफ्राइड बीन्स और सूप-लेस नूडल्स जैसे फूड उपरोक्त परिभाषा पर खरा नहीं उतरते हैं और इस छूट के योग्य नहीं हैं।

क्या यह ठंडे तरल फूड या पेय पदार्थों पर भी लागू होता है?



यह छूट केवल तभी लागू होती है, जब टेकअवे फूड के उद्देश्य से कंटेनर में 60 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान पर परोसे जाने वाले सूप या तरल फूड डाले जाते हैं।

यह छूट ठंडे फूड, गैर-तरल फूड, या किसी भी पेय (गर्म या ठंडा) पर लागू नहीं होती है।

यह छूट कितने समय तक रहेगी?

व्यवसायों को उपयुक्त विकल्प खोजने का समय प्रदान करने के लिए, यह छूट केवल 30 अगस्त 2025 तक ही मान्य है।

मुझे क्या करने की आवश्यकता है?

इस छूट का उपयोग करने के लिए, व्यवसायों या प्रभावित संगठनों को वेबसाइट फॉर्म के माध्यम से जल और पर्यावरण विनियमन विभाग (Department of Water and Environmental Regulation) को 30 दिनों के भीतर निम्नलिखित जानकारी प्रदान करने की आवश्यकता है।

अपेक्षित जानकारी

- रिटेलर/संगठन का व्यावसायिक नाम (आवश्यक)
- छूट का उपयोग करने वाले संगठन का अधिकृत प्रतिनिधि / आवश्यकता होने पर संपर्क किया जाने वाला व्यक्ति (आवश्यक)
- फ़ोन नंबर (वैकल्पिक)
- ईमेल (आवश्यक)
- इस श्रेणी की छूट का उपयोग करने के लिए प्लास्टिक फूड पैकेजिंग की सूची (आवश्यक)
- इस श्रेणी की छूट के तहत टेकअवे फूड का विवरण (आवश्यक)
- उत्पादों के चित्र (वैकल्पिक)

नीचे दिए गए QR कोड को स्कैन करके या <https://form.iotform.com/242330849036859> पर फॉर्म प्राप्त करें



वेबसाइट फॉर्म किसे जमा करने की आवश्यकता है?

यह जानकारी ऐसे रिटेलर या सामुदायिक समूहों द्वारा जमा किए जाने की आवश्यकता है जो कंटेनर में फूड सप्लाय को नियंत्रित करते हैं। निर्माताओं और सप्लायर द्वारा यह जानकारी जमा किए जाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह छूट सप्लाय किए जाने वाले कुछ विशिष्ट फूड पर ही लागू होती है।

छूट नोटिस का अनुपालन न किए जाने पर प्रवर्तन कार्रवाई की जा सकती है।

और अधिक जानकारी के लिए जल एवं पर्यावरण विनियमन विभाग से भी संपर्क किया जा सकता है। हालाँकि, वेबसाइट फॉर्म (QR कोड को स्कैन करें) का उपयोग करके रिपोर्टिंग को प्रोत्साहित किया जाता है।

वेबसाइट पर संपर्क विवरण प्रदान किए गए हैं।